भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1437

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता में वृद्धि संबंधी योजना**

1437. श्री आर0 सी0 सिंह:

 क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने देश में 150 लाख मीटरिक टन खाद्यान्नों की वृद्धि करने संबंधी एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भंडारण क्षमता में कितनी वृद्धि की जा चुकी है और क्षमता में पूर्ण वृद्धि न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गोदामों में कीटों, चूहों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण खाद्यान्नों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए मंत्रालय ने क्या विशेष प्रयास किए हैं या कर रहा है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख) और (ग):** खाद्यान्‍नों की खरीदारी बढ़ने के कारण और कवर तथा प्‍लिंथ में भंडारण में कमी लाने के लिए सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगमों के जरिए भंडारण गोदामों का निर्माण करने की स्‍कीम तैयार की है। इस स्‍कीम के अधीन अतिरिक्‍त भंडारण की जरूरत का आकलन समूची खरीद/खपत और पहले से ही उपलब्‍ध भंडारण स्‍थान के आधार पर की जाती है। उपभोक्‍ता क्षेत्रों के लिए भंडारण क्षमता का सृजन किसी राज्‍य विशेष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्‍य कल्‍याण योजनाओं की चार माह की जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। खरीद क्षेत्रों के लिए अपेक्षित भंडारण क्षमता का निर्णय करने हेतु पिछले तीन वर्षों में अधिकतम स्‍टाक स्‍तर पर विचार किया जाता है।

इस विश्‍लेषण और स्‍कीम में विहित मापदंडों के आधार पर राज्‍यवार अपेक्षित क्षमता और स्‍थानों की पहचान की गई थी। इस स्‍कीम के अधीन भारतीय खाद्य निगम अब निजी उद्यमियों को सुनिश्‍चित किराया देने के लिए 10 वर्ष की गारंटी देगा। निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगमों के जरिए इस स्‍कीम के अधीन 19 राज्‍यों में लगभग 151 लाख टन क्षमता सृजित की जानी है। इसमें से निजी उद्यमियों द्वारा दिनांक 15-10-2011 की स्‍थिति के अनुसार 69 लाख टन भंडारण क्षमता का सृजन करने के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है। इस स्‍कीम के अधीन केन्द्रीय भण्डारण निगम और राज्‍य भंडारण निगम क्रमश: 5.4 और 14.4 लाख टन क्षमता का निर्माण कर रहे हैं जिसमें से केन्द्रीय भण्डारण निगम/राज्‍य भंडारण निगमों द्वारा लगभग 4 लाख टन क्षमता पहले ही पूरी कर ली गई है। स्‍कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार गोदामों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय अनुसूची रेलवे साइडिंग से इतर गोदामों के मामले में एक वर्ष और रेलवे साइडिंग वाले गोदामों के लिए 2 वर्ष है।

........2....

- 2 -

**(घ):** खाद्यान्‍नों में क्षति को रोकने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्‍न पग उठाए जाते हैं। कीट/जंतुबाधा को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से रोग निरोधी और रोगहर उपाय किए जाते हैं। प्रभावी मूषक नियंत्रण उपाय भी किए जाते हैं। भंडारण में खाद्यान्‍नों का उचित परिरक्षण सुनिश्‍चित करने के लिए नियमित रूप से गुणवत्‍ता जांच की जाती है। कैप में भंडारित खाद्यान्‍नों के स्‍टाक के लिए पर्याप्‍त डनेज प्रदान किया जाता है। डनेज सामाग्री को साफ और जंतुबाधा से मुक्‍त किया जाता है। वर्षा, धूप आदि से कैप के स्‍टाक की सुरक्षा करने के लिए प्रत्‍येक चट्टे को पालीथीन कवर से ढका जाता है। पालीथीन कवरों को नाइलान की रस्‍सियों से बांधा जाता है। राज्‍य सरकारों/एजेंसियों द्वारा किए गए कैप में भंडारित गेहूं के स्‍टाक का भारतीय खाद्य निगम और संबंधित राज्‍य सरकारों/एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर संयुक्‍त निरीक्षण किया जाता है। आमतौर पर स्‍टाक ‘प्रथम आमद-प्रथम निर्गम’ के सिद्धांत पर जारी किया जाता है।

\*\*\*\*\*\*\*